एकक विजयपुर (गुना जिला) में स्थित है और यह नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन०एफ०एल०) के स्वामित्व में है। यह 1988 में इसके आरंभण से ही इसकी स्थापित क्षमता से 100 प्रतिशत से अधिक पर चल रहा है। मैसर्स एन.एफ.एल. इस समय 987.3 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर प्रति वर्ष 7.26 लाख टन यूरिया की अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन के लिए विजयपुर स्थित अपने अमोनिया-यूरिया संयंत्रों की क्षमता दुगुनी करने की परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

**रासायनिक उर्वरक के निर्माताओं को राज सहायता की बकाया राशि**

**6597. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग प्रत्येक वर्ष रसायन उर्वरकों के निर्माताओं को दी जाने वाली राजसहायता की राशि बकाया रही है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1992 मार्च, 1993 मार्च 1994 और मार्च 1995 में ऐसी बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उर्वरक निर्माताओं को समय पर राजसहायता की राशि न प्राप्त होने से देश का उर्वरक उत्पादन प्रभावित होता है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार समय पर निर्माताओं को राजसहायता की राशि उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार के अवसरों पर समाप्त करने के लिए वर्तमान प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार करने का विचार रखती है यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं?

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) :** (क) और (ख) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय आबंटनों के अन्तगत निर्माताओं को आर्थिक सहायता भुगतान जारी किए जाते हैं। निधियों की कमी के कारण कुछ राशियां बाकी रह जाती हैं किन्तु उनका अगले वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया जाता है। गत चार वर्षों के अन्त की स्थिति के अनुसार निर्माताओं से प्राप्त दावों के संबंध में बकाया आर्थिक सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

| दिनांक | राशि ( रु० करोड़ों में) (लगभग) |
|---|---|
| 31 मार्च, 1992 | 125 |
| 31 मार्च, 1993 | 245 |
| 31 मार्च, 1994 | 500 |
| 31 मार्च, 1995 | 930 |

(31 मार्च 1995 को बकाया राशियों की मात्रा उच्च थी क्योंकि वर्ष के दौरान जारी छठी मूल्य निर्धारण अधिसूचनाओं के कारण गत वर्षों के लिए वृहत राशियां देय हो गयी थी।)

(ग) और (घ) इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि राजसहायता भुगतानों के जारी करने में विलम्ब के कारण नियंत्रित उर्वरकों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ङ) निधियां उपलब्ध होने के अध्यधीन राजसहायता के भुगतान के लिए सभी दावे दावा मिलने की तिथि के 60 दिनों के अन्दर चुकता कर दिए जाते हैं यदि औपचारिकताये सब प्रकार से पूर्ण हों। तथापि बजटीय बाधाओं के कारण, इस भुगतान समय सारिणी का पालन करना हमशा संभव नहीं होता।